(209)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 483–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–02–2005 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 211/2004–05/अपील

शिवप्रसाद राम पिता देवीशरण राम मृत वारिस–
आरोग्य नाथ द्विवेदी पिता शिवप्रसाद राम
निवासी ग्राम बर्दी तहसील चितरंगी जिला सीधी म0प्र0

------ आवेदक

विरूद्ध

1– सन्ता पिता होरिल कोल
निवासी ग्राम बर्दी तहसील चितरंगी जिला सीधी म0प्र0
2– भखानी पिता भढौली
निवासी बंधावा तहसील चितरंगी जिला सीधी
3– श्रीमान पिता उनगू
निवासी ग्राम बधवा तहसील चितरंगी जिला सीधी
4– कलुआ पिता पत्नी
निवासी ग्राम नियास तहसील चितरंगी जिला सीधी
5– शोभनाथ पिता छोटकऊ
निवासी बर्दी तहसील चितरंगी जिला सीधी
6– अमरनाथ पिता छोटकऊ
7– सन्तियां पत्नी वंशरूप
निवासी ग्राम बर्दी
8– मुन्ना पिता रजन
निवासी परसौना
9– नेकई पिता कैर
निवासी परसौला तहसील चितरंगी जिला सीधी
10– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सीधी
जिला सीधी, म0प्र0

------ अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक28/09/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 01–2–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार चितरंगी के प्रकरण कमांक 2/अ–19(1)/01–02 में पारित आदेश दिनांक 29–5–2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सीधी के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बर्दी स्थिति भूमि खसरा कमांक 127 कुल किता 23 रकबा 42.011 हे0 भूमि का बंटन आलोच्य आदेश के द्वारा अनावेदकगण एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर किया गया जब कि आवेदकगण के अनुसार खसरा कमांक 290, 291 पर आवेदक का कब्जा होने से बंटन गलत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26–3–2004 के द्वारा आवेदक की अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त रीवा संभाग को प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त ने आदेश दिनांक 01–2–2005 के द्वारा अपील अमान्य की। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्को पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण को उनकी काबिज भूमि का बंटन न कर आवेदक के कब्जे की भूमि का बंटन किया है। आवेदक द्वारा पेश खसरा नम्बर 43/1 की नकल से यह स्पष्ट होता है कि जंगल मद

की भूमि पर कब्जा है अन्य अनावेदकगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पेश नहीं किए हैं। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के तर्कों को अमान्य कर बंटन की कार्यवाही को त्रुटिरहित माना है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया है जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 01–2–2005 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर